रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112026-277692
CG-DL-E-05112026-277692

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5795] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2026/कार्तिक 14, 1948
No. 5795] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2026/KARTIKA 14, 1948

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 नवंबर, 2026

का.आ. 6027(अ).—केंद्रीय सरकार, आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 (2025 का 13) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आप्रवास और विदेशियों विषयक (छूट) आदेश, 2025 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आप्रवास और विदेशियों विषयक (छूट) (संशोधन) आदेश, 2026 है ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. आप्रवास और विदेशियों विषयक (छूट) आदेश, 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के पैरा 2 के उप पैरा (1) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(ग) "वीजा निर्देशिका" से केंद्रीय सरकार द्वारा जारी वीजा, आप्रवास और उससे संसक्त या आनुषंगिक अन्य विषयों पर जारी निर्देशों को समय-समय पर सम्मिलित करने वाली निर्देशिका अभिप्रेत है ।'।

3. उक्त आदेश के पैरा 3 में,--

(क) उप पैरा (1) में, खंड (क) से (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(क) भूमि या वायु मार्ग द्वारा नेपाल या भूटान से भारत में प्रवेश करने वाला अथवा भारत से नेपाल या भूटान जाने वाला भारत का नागरिक :

परंतु भारत का नागरिक आप्रवास अधिकारी के समक्ष उसकी पहचान स्थापित करने के लिए और ऐसी अन्य जानकारी प्रदान करने के लिए, जो अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, वीजा निर्देशिका में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और कि इस खंड के अधीन प्रदान की गई छूट भारत के किसी ऐसे नागरिक को लागू नहीं होगी, जो भूमि या वायु मार्ग द्वारा भारत-नेपाल या भारत-भूटान सीमा के माध्यम से नेपाल या भूटान से भिन्न किसी देश की ओर जा रहा हो या वापस लौट रहा हो और ऐसे सभी मामलों में उनसे विधिमान्य पासपोर्ट रखना अपेक्षित होगा तथा भारत से उनका निकास या भारत में प्रवेश केवल अभिहित आप्रवास पोस्ट के माध्यम से किया जाएगा ;

(ख) भूमि या वायु मार्ग द्वारा भारत में प्रवेश करने वाला या भारत से निकास करने वाला नेपाल का नागरिक या भूटान का नागरिक :

परंतु नेपाल या भूटान का नागरिक आप्रवास अधिकारी के समक्ष उसकी पहचान स्थापित करने के लिए और ऐसी अन्य जानकारी प्रदान करने के लिए, जो अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, वीजा निर्देशिका में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और कि इस खंड के अधीन प्रदान की गई छूट नेपाल या भूटान के नागरिक को,—

(i) नेपाल या भूटान से भिन्न किसी स्थान से भारत में प्रवेश करने या भारत से निकास करने के दौरान लागू नहीं होगी और ऐसे सभी मामलों में उनके पास विधिमान्य पासपोर्ट अवश्य होना चाहिए ;

(ii) जिसने चीन, मकाऊ, हांगकांग या पाकिस्तान के माध्यम से आरोहण किया है या पारगमन किया है, लागू नहीं होगी, और ऐसे सभी मामलों में उनके पास विधिमान्य पासपोर्ट और विधिमान्य वीजा अवश्य होना चाहिए ;"।

(ख) उप पैरा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(1क) भारत में प्रवेश, प्रवास और बाहर जाने के लिए विधिमान्य पासपोर्ट या अन्य विधिमान्य यात्रा दस्तावेज और विधिमान्य वीजा की अपेक्षा के संबंध में अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) तथा नियमों के नियम 7, नियम 8 या नियम 9 के उपबंध उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होंगे, अर्थात् :—

(क) भारत की नौसेना, सेना या वायु सेना का सदस्य, जो ड्यूटी पर भारत में प्रवेश कर रहा हो या भारत से बाहर जा रहा हो तथा ऐसे किसी व्यक्ति के परिवार के सदस्य, जो सरकारी परिवहन पर ऐसे व्यक्ति के साथ हों ;

(ख) कोई रजिस्ट्रीकृत श्रीलंकाई तमिल नागरिक, जिन्होंने भारत में 9 जनवरी, 2015 तक शरण ली है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "रजिस्ट्रीकृत" से केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किसी अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है ;

(ग) भारत में मरम्मत के लिए आने वाले विदेशी सेना यानों का विदेशी कर्मीदल, जिन्हें आप्रवास पोस्ट पर आप्रवास अधिकारी द्वारा सेना पोत मरम्मत परमिट प्रदान किए गए हैं परंतु उनके पास उनके सेना पहचान दस्तावेज होने चाहिए ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, विदेशी सेना पोतों से किसी अन्य देश के सेना बलों द्वारा गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रचालित युद्ध पोत और अन्य सरकारी पोत अभिप्रेत होंगे";

(ग) उप पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) भारत में प्रवेश और प्रवास के लिए विधिमान्य पासपोर्ट या अन्य विधिमान्य यात्रा दस्तावेज और विधिमान्य वीजा की अपेक्षा के संबंध में अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) तथा नियमों के नियम 7, नियम 8 या नियम 9 के उपबंध उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होंगे, अर्थात् :—

(क) कोई तिब्बती,—

(i)जिसने काठमांडू स्थित भारत के दूतावास द्वारा जारी प्रवेश परमिट के आधार पर वर्ष 1959 के पश्चात्, किन्तु 30 मई, 2003 से पहले, भारत में प्रवेश किया हो; या

(ii) जिसने केंद्रीय सरकार द्वारा यथानामनिर्दिष्ट भारत-नेपाल सीमा पर स्थित आप्रवास चौकी के माध्यम से काठमांडू स्थित भारत के दूतावास द्वारा जारी विशेष प्रवेश परमिट के आधार पर 30 मई, 2003 के पश्चात् भारत में प्रवेश किया हो;

और उसने संबद्ध रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकरण करवाया हो तथा नियमों के नियम 13 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया हो;

(ख) अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कोई ऐसा व्यक्ति, अर्थात् हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय का व्यक्ति, जो धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के भय के कारण भारत में आश्रय लेने के लिए विवश हुआ हो और जिसने 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले,—

(i) विधिमान्य दस्तावेजों जिसके अंतर्गत पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज भी है, के बिना; या

(ii) विधिमान्य दस्तावेजों जिसके अंतर्गत पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज भी है, के आधार पर किन्तु ऐसे दस्तावेजों की विधिमान्यता समाप्त हो चुकी हो,

भारत में प्रवेश किया हो:

परंतु यह कि, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए भारत में प्रवेश के पश्चात् भारत में अपना प्रवास जारी रखने हेतु वीज़ा का समुचित प्रवर्ग प्राप्त करना अपेक्षित होगा।";

(घ) उपपैरा (3) में,—

(i) "उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "उपधारा (1) और उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ग) में, "जब तक कि" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ङ) उपपैरा(3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(3क) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंध और भारत में प्रवास के लिए विधिमान्य पासपोर्ट या अन्य विधिमान्य यात्रा दस्तावेज की अपेक्षा के संबंध में नियमों के नियम 7 और नियम 8 के उपबंध, इसमें उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होंगे, अर्थात्:—

(क) पाकिस्तान का ऐसा नागरिक, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के आशय से, पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी विधिमान्य पासपोर्ट के आधार पर, 31 दिसंबर, 2009 को या उससे पहले मूलतः भारत में प्रवेश किया हो तथा ऐसा व्यक्ति सरकार द्वारा जारी कम्प्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र धारित न होने के कारण पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी अपने पासपोर्ट का नवीकरण कराने में असमर्थ रहा हो;

(ख) मुस्लिम समुदाय का ऐसा पुरुष सदस्य, जो मूलतः भारत का नागरिक था, जिसने भारत के विभाजन के पश्चात् 15 अगस्त, 1947 से 31 दिसंबर, 1965 की अवधि के दौरान पाकिस्तान की यात्रा की थी और भारत में अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया था तथा पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी विधिमान्य पासपोर्ट के आधार पर 31 दिसंबर, 2009 को या उससे पहले भारत वापस लौट आया था और केरलम राज्य में बस गया था, जिसका उक्त पासपोर्ट या तो समाप्त हो चुका है या खो गया है, और ऐसा व्यक्ति—

(i) पाकिस्तान में रहते हुए विवाहित नहीं हुआ था;

(ii) पाकिस्तान में कोई स्थावर संपत्ति अर्जित नहीं की है;

(iii) पाकिस्तान जाते समय अपने परिवार के ऐसे सदस्यों को भारत में पीछे छोड़ गया था, जो भारतीय नागरिक हैं;

(iv) भविष्य में पाकिस्तान वापस नहीं जाएगा;

(v) जिसके विरुद्ध पुलिस या सुरक्षा अभिकरणों की ओर से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न हो;

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति, जिसने तत्पश्चात् मलेशिया या सिंगापुर की नागरिकता प्राप्त कर ली हो तथा उक्त देशों में से किसी एक द्वारा जारी विधिमान्य पासपोर्ट के आधार पर 31 दिसंबर, 2009 को या उससे पहले भारत वापस लौटा हो, जिसका पासपोर्ट समाप्त हो चुका है तथा संबंधित देश द्वारा इस कारण उसका नवीकरण नहीं किया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति पासपोर्ट के नवीकरण के लिए उन देशों द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करता है और ऐसे व्यक्ति के पास इस बात का दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध है कि वह भारतीय मूल का व्यक्ति है।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "भारतीय मूल के व्यक्ति" से ऐसा विदेशी नागरिक (जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल और चीन का नागरिक न हो), यदि—

(i) उसने किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट धारण किया हो; या

(ii) वह स्वयं या उसके माता-पिता में से कोई एक या उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही या परपितामह या परपितामही या परमातामह या परमातामही में से कोई भारत में जन्मा हो तथा भारत में स्थायी रूप से निवास करता रहा हो, जैसा कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 में उल्लिखित है, और ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र, जो तत्पश्चात् भारत का भाग बने;

परंतु यह कि उक्त व्यक्तियों में से कोई भी किसी भी समय उपर्युक्त-उल्लिखित देशों का नागरिक न रहा हो, अभिप्रेत है;

(घ) खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भारत में अपना प्रवास जारी रखने हेतु वीज़ा का समुचित प्रवर्ग प्राप्त करना अपेक्षित होगा।";

(च) उपपैरा(5) में, खंड (ङ) का लोप किया जाएगा।

(फा. सं. 25022/07/2025-एफ.I)

डॉ. संदीप एन. महात्मे, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्याक का.आ 3997(अ) तारीख 2 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 4th November, 2026.

S.O. 6027(E).— In exercise of the powers conferred by section 33 of the Immigration and Foreigners Act, 2025 (13 of 2025), the Central Government hereby makes the following amendment to the Immigration and Foreigners (Exemption) Order, 2025, namely:—

1. (1) This Order may be called the Immigration and Foreigners (Exemption) (Amendment) Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Immigration and Foreigners (Exemption) Order, 2025 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 2, sub-paragraph (1), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely : —

'(c) "Visa Manual" means the manual issued by the Central Government from time to time incorporating the instructions issued on visa, immigration and other matters connected therewith or incidental thereto".

3. In the said Order, in paragraph 3,—

(a) in sub-paragraph (1), for clauses (a) to (e), the following clauses shall be substituted, namely: —

"(a) a citizen of India entering into India from Nepal or Bhutan or departing from India to Nepal or Bhutan by land or by air:

Provided that a citizen of India shall produce before the Immigration Officer any one of the documents specified in the Visa Manual to establish their identity and provide such information as may be required by the officer:

Provided further that the exemption provided under this clause shall not apply to a citizen of India departing to or returning from countries other than Nepal or Bhutan through the Indo-Nepal or Indo-Bhutan border by land or by air and in all such cases, they shall be required to possess a valid passport and their exit from or entry into India shall be only through the designated immigration posts;

(b) a citizen of Nepal or a citizen of Bhutan entering into or exiting from India by land or by air:

Provided that a citizen of Nepal or Bhutan shall produce before the Immigration Officer any one of the documents specified in the Visa Manual to establish their identity and provide such information as may be required by the officer:

Provided further that the exemption provided under this clause shall not apply to a citizen of Nepal or Bhutan, —

(i) while entering or exiting India from or to a place other than Nepal or Bhutan and in all such cases, they must be in possession of a valid passport;

(ii) who has embarked at or has transited through China, Macau, Hong Kong or Pakistan and in all such cases, they must be in possession of a valid passport and valid visa;".

(b) after sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(1A) The provisions of sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Act and rules 7, 8 or 9 of the rules with regard to requirement of valid passport or other valid travel document and valid visa for entry into, stay in and exit from India, shall not apply in the following cases, subject to the conditions mentioned herein, namely :-

(a) a member of naval, military or air forces of India, entering into or exiting from India on duty and members of the family of any such person when accompanying such person on a Government transport;

(b) registered Sri Lankan Tamil nationals who have taken shelter in India up to 9th January, 2015.

Explanation. — For the purposes of this clause, "registered" means registered with an officer designated for this purpose by the Central Government or the State Government;

(c) the foreign crew of foreign military vessels coming for repairs in India who are granted Military Ship Repair Permits by the Immigration Officer at the Immigration Post provided they are in possession of their Military Identification Documents.

Explanation. — For the purposes of this clause, foreign military vessels shall mean warships and other government ships operated for non-commercial purposes by the armed forces of another State";

(c) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(2) The provisions of sub-section (1) of section 3 of the Act and rules 7, 8 or 9 of the rules with regard to requirement of valid passport or other valid travel document and valid visa for entry into and stay in India, shall not apply in the following cases, subject to the conditions mentioned herein, namely :—

(a) a Tibetan, —

(i) who has entered into India after 1959 but before the 30th May, 2003 on the Entry Permit issued by the Embassy of India in Kathmandu; or

(ii) who has entered into India after the 30th May, 2003 on the Special Entry Permit issued by the Embassy of India in Kathmandu through the immigration post on the Indo-Nepal border as designated by the Central Government,

and registered with the Registration Officer concerned and obtained a Certificate of Registration in accordance with Rule 13 of the rules;

(b) a person belonging to a minority community in Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, namely, Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community, who was compelled to seek shelter in India due to religious persecution or fear of religious persecution and entered into India on or before 31st December, 2024, —

(i) without valid documents including passport or other travel documents; or

(ii) with valid documents including passport or other travel documents and the validity of such documents has expired**:**

Provided that every such person shall be required to obtain an appropriate category of visa after their entry into India for their continued stay in India.";

(d) in sub-paragraph (3), —

(i) for the words, brackets and figures "sub-sections (1), (2) and (3)", the words, brackets and figures "sub-sections (1) and (2)" shall be substituted;

(ii) in clause (c), the word "unless" shall be omitted;

(e) after sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

"(3A) The provisions of sub-section (1) of section 3 of the Act and rules 7 and 8 of the rules with regard to requirement of a valid passport or other valid travel document for the stay in India shall not apply in the following cases, subject to the conditions mentioned herein, namely :—

(a) a person being a citizen of Pakistan who has originally entered into India on or before 31st December, 2009 on a valid passport issued by the Government of Pakistan with the intention to reside permanently in India and such person has not been able to renew the passport issued by the Government of Pakistan because of non-possession of Computerised Nationality Identity Card issued by that Government;

(b) a male member of the Muslim community, being originally an Indian citizen, who went to Pakistan after partition between the period of 15th August, 1947 and 31st December, 1965 leaving behind family in India and returned back to India on or before 31st December, 2009 and settled in the State of Keralam on a valid passport issued by the Government of Pakistan which has either expired or been lost and such person, —

(i) had not married while in Pakistan;

(ii) has not acquired any immovable property in Pakistan;

(iii) while going to Pakistan, had left behind family members who are Indian citizens;

(iv) shall not return to Pakistan;

(v) does not have any adverse report from the police and security agencies;

(c) a person of Indian origin who has subsequently acquired the citizenship of Malaysia or Singapore and had returned to India on or before 31st December, 2009 on a valid passport issued by either of those countries, which has expired and is not being renewed by those countries for the reason that such person does not meet the conditions specified by those countries for renewal of passport and such person has documentary proof that they are a person of Indian origin.

Explanation.— For the purposes of this clause, "person of Indian origin" means a foreign citizen (not being a citizen of Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Bhutan, Nepal and China) if ,—

(i) they, at any time, held an Indian passport; or

(ii) they or either of their parents or grandparents or great grandparents was born in and were permanently resident in India as mentioned in the Government of India Act, 1935 and other territories that became part of India thereafter, provided neither was at any time a citizen of the above-mentioned countries;

(d) every person covered by clauses (a), (b) or (c) shall be required to obtain an appropriate category of visa for his continued stay in India";

(f) in sub-paragraph (5), clause (e) shall be omitted.

[F. No. 25022/07/2025-F.I]

DR. SANDEEP N MAHATME, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O.3997(E), dated the 2nd September, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.11.05 14:34:19 +05'30'